सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 267 / सो.आ.नि.–322 / 2014
दिनाँकः 07 अगस्त, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः DSAC/BSAC की सेवाओं को 31.12.2014 तक के लिए विस्तारित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1413 / अड़तीस–7–2014–200नरेगा / 2009, दिनांक 31 जुलाई, 2014 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। सोशल आडिट में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपने जनपद में तैनात DSAC/BSAC की सेवाओं को तद्नुसार 31.12.2014 तक के लिए विस्तारित करने का कष्ट करें। DSAC/BSAC की सेवा विस्तारण के साथ ही पूर्व की भांति जिला विकास अधिकारी तथा DSAC या BSAC, की जैसी स्थिति हो, के साथ संलग्न प्रारूप पर अनुबन्ध किया जाएगा।

अनुरोध है कि सेवा विस्तारित किए जाने की सूचना एवं विस्तारित अनुबन्ध की फोटोप्रति शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि DSAC/BSAC के मानदेय / नियत यात्रा भत्ता की धनराशि आपको उन्हें भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्नकः– 1. शासनादेश दिनांक 31.07.2014 की फोटोप्रति।
2. अनुबन्ध पत्र।

भवदीय,
(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः– / सो0आ0नि0–322 / 2014, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT

संख्या- 1413 /अडतीस-7-2014-200नरेगा/2009

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
अनु सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद/ब्लाक स्तर पर नियुक्त सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवा अवधि में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2245/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-10-2012 एवं शासनादेश संख्या-1390/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-07-2012, शासनादेश संख्या-4050/अडतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 16-12-2013 तथा शासनादेश संख्या-756/अडतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 25-03-2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों, जिनकी सेवाएं दिनांक: 30-06-2014 को समाप्त हो रही थी, की सेवाएं आगे दिनांक: 31-12-2014 तक अथवा आउट सोर्सिंग के आधार पर संविदा पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के योगदान करने की तिथि तक विस्तारित की जाती हैं। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

संख्या- 1413 (1)/अड़तीस-7-2014 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

अनुबन्ध–पत्र

श्री ..... पुत्र श्री..... आयु.....
निवासी..... जनपद..... **जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर**.....

प्रथमपक्ष

एवं

जिला विकास अधिकारी (जिसे एतद्द्वारा ''द्वितीय पक्ष'' कहा गया है), के मध्य दिनांकः 2014 को निष्पादित किया गया।

1. प्रथम पक्ष की संविदा 31.12.2014 तक शासनादेश संख्याः 1413/अड़तीस–7–2014–200नरेगा/2009, दिनांकः 31 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार विस्तारित की जाती है।
2. यह कि संविदा की अवधि में प्रथम पक्ष को उ0प्र0 शासन द्वारा वर्तमान स्वीकृत दरों के अनुसार मानदेय मु0 12000.00 (रुपये आठ हजार) मात्र तथा 3000.00 रुपये नियत यात्रा भत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. यह कि संविदा पर रखे गए प्रथम पक्ष की संविदा की अवधि दिनांकः 31.12.2014 को पूर्ण होगी और इस तिथि के बाद यह संविदा स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जाएगी।
4. यह कि संविदा अवधि में यदि प्रथम पक्ष का कार्य व आचरण असन्तोषजनक पाया जाता है अथवा अनुचित आचरण में संलिप्तता पाई जाती है तो उनको सुनवाई का अवसर देकर निश्चित अवधि के पूर्व भी संविदा समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए प्रथम पक्ष की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे शासकीय क्षति होती है या वित्तीय क्षति पहुँचती है तो इसकी क्षति पूर्ति प्रथम पक्ष से की जाएगी।
6. अनुबन्ध की अवधि में प्रथम पक्ष पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा तथा उच्च अधिकारियों एवं द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा अपना आचरण अच्छा एवं अनुशासित रखेगा।।
7. यह कि प्रथम पक्ष अनुबन्ध की अवधि में किसी अन्य पद पर वेतन अथवा पारिश्रमिक पर योजित नहीं होगा।
8. प्रथम पक्ष की संविदा के आधार पर सेवाएँ द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह या अवशेष संविदा अवधि, जो भी कम हो, की नोटिस अथवा नोटिस के बदले उस अवधि के लिए मानदेय का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
9. इस संविदा अवधि के अन्तर्गत किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में जिलाधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

उक्त के साक्ष्य में श्री..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... (प्रथम पक्ष) व जिला विकास अधिकारी (द्वितीय पक्ष) के मध्य ने उपर्लिखित दिनांकः..... माह..... वर्ष..... को निम्न गवाहों के समक्ष अनुबन्ध किया जाता है।

प्रथम पक्ष (.....) **द्वितीय पक्ष** (.....) हस्ताक्षर

जिला विकास अधिकारी,
जनपद।

प्रथम पक्ष
गवाह–(1) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

गवाह–(2) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

द्वितीय पक्ष
गवाह–(1) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

गवाह–(2) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

Arun DT

अनुबन्ध–पत्र

श्री ..... पुत्र श्री..... आयु.....
निवासी..... जनपद..... **ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर**.....

प्रथमपक्ष

एवं

जिला विकास अधिकारी (जिसे एतद्द्वारा ''द्वितीय पक्ष'' कहा गया है), के मध्य दिनांकः 2014 को निष्पादित किया गया।

1. प्रथम पक्ष की संविदा 31.12.2014 तक शासनादेश संख्याः 1413/अड़तीस–7–2014–200नरेगा/2009, दिनांकः 31 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार विस्तारित की जाती है।
2. यह कि संविदा की अवधि में प्रथम पक्ष को उ0प्र0 शासन द्वारा वर्तमान स्वीकृत दरों के अनुसार मानदेय मु0 8000.00 (रुपये आठ हजार) मात्र तथा 2000.00 रुपये नियत यात्रा भत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. यह कि संविदा पर रखे गए प्रथम पक्ष की संविदा की अवधि दिनांकः 31.12.2014 को पूर्ण होगी और इस तिथि के बाद यह संविदा स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जाएगी।
4. यह कि संविदा अवधि में यदि प्रथम पक्ष का कार्य व आचरण असन्तोषजनक पाया जाता है अथवा अनुचित आचरण में संलिप्तता पाई जाती है तो उनको सुनवाई का अवसर देकर निश्चित अवधि के पूर्व भी संविदा समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए प्रथम पक्ष की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे शासकीय क्षति होती है या वित्तीय क्षति पहुँचती है तो इसकी क्षति पूर्ति प्रथम पक्ष से की जाएगी।
6. अनुबन्ध की अवधि में प्रथम पक्ष पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा तथा उच्च अधिकारियों एवं द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा अपना आचरण अच्छा एवं अनुशासित रखेगा।।
7. यह कि प्रथम पक्ष अनुबन्ध की अवधि में किसी अन्य पद पर वेतन अथवा पारिश्रमिक पर योजित नहीं होगा।
8. प्रथम पक्ष की संविदा के आधार पर सेवाएँ द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह या अवशेष संविदा अवधि, जो भी कम हो, की नोटिस अथवा नोटिस के बदले उस अवधि के लिए मानदेय का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
9. इस संविदा अवधि के अन्तर्गत किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में जिलाधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

उक्त के साक्ष्य में श्री..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... (प्रथम पक्ष) व जिला विकास अधिकारी (द्वितीय पक्ष) के मध्य ने उपर्लिखित दिनांकः..... माह..... वर्ष..... को निम्न गवाहों के समक्ष अनुबन्ध किया जाता है।

प्रथम पक्ष (.....) **द्वितीय पक्ष** (.....) हस्ताक्षर

जिला विकास अधिकारी,
जनपद।

प्रथम पक्ष
गवाह–(1) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

गवाह–(2) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

द्वितीय पक्ष
गवाह–(1) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

गवाह–(2) नामः
पिता का नामः
निवासीः
तिथिः

Arun DT